प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया : 16.04.2025

आदेश पारित किया गयाः 08.05.2025

रिट याचिका सिविल सं 4092/2024

1 – डी. पी. विप्रा कॉलेज,इसके प्राचार्य के द्वारा, डी. पी. विप्रा कॉलेज, ओल्ड हाई न्यायालय रोड,बिलासपुर।

2 – डॉ. मधुसूदन तंबोली पिता स्वर्गीय रामसहाय तंबोली, 60 वर्ष, प्राचार्य, डी. पी. विप्रा कॉलेज, ओल्ड हाई न्यायालय रोड, बिलासपुर (सी. जी.)।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – अटल विहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रावधानों के तहत गठित एक निकाय, इसके रजिस्ट्रार के द्वारा , पुलिस थाना के सामने कोनी, बिलासपुर–रतनपुर रोड, कोनी, जिला–बिलासपुर (सी.जी.)।

2– कुलसचिव, अटल विहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, पुलिस थाना कोनी के सामने, बिलासपुर–रतनपुर रोड, कोनी जिला–बिलासपुर (छ.ग.)।3 – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, अपने सचिव के द्वारा , बहादुर शाह जाफर मार्ग, नई दिल्ली– 110002।

--उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्तागण हेतु :		श्री बी. पी. शर्मा, श्री एम. एल. सकट, श्री रजा अली तथा श्री पुष्प कुमार गुप्ता, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 1 तथा 2 हेतु :		श्री नीरज चौबे तथा श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 हेतु :		श्री जितेंद्र नाथ नंदे, अधिवक्ता

रिट याचिका सिविल सं 778/2025

अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय, (राज्य विश्वविद्यालय) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत अपने रजिस्ट्रार के द्वारा , अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय के माध्यम से, कोनी पुलिस थाना के सामने, कोनी, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (सी.जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – डी. पी. विप्रा कॉलेज, अपने प्राचार्य (प्रभारी) के द्वारा , ओल्ड हाई न्यायालय रोड, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (सी. जी.)

2 – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने सचिव के द्वारा , बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, 110002

––उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :		श्री नीरज चौबे तथा श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 1 हेतु		श्री बी. पी. शर्मा, श्री एम. एल. सकट, श्री रजा अली तथा श्री पुष्प कुमार गुप्ता, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 2 हेतु :		श्री जितेंद्र नाथ नंदे, अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सी. ए. वी. आदेश

1. हमने याचिकाकर्ताओं (डब्ल्यूपीसी संख्या 4092/2024) और उत्तरवादी संख्या 1 (डब्ल्यूपीसी संख्या 778/2025) के अधिवक्ताओं श्री बी.पी. शर्मा, श्री एम.एल. सकत, श्री रजा अली और श्री पुष्प कुमार गुप्ता के तर्क को सुना गया ।इसके अलावा, याचिकाकर्ता (डब्ल्यूपीसी संख्या 778/2025) और उत्तरवादी संख्या 1 और 2 (डब्ल्यूपीसी संख्या 4092/2024) के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे और श्री प्रतीक शर्मा तथा उत्तरवादी संख्या 3 (डब्ल्यूपीसी संख्या 4092/2024) और उत्तरवादी संख्या 2 (डब्ल्यूपीसी संख्या 778/2025) के अधिवक्ता श्री जितेंद्र नाथ नंदे के तर्क को सुना गया ।

2. चूंकि दोनों रिट याचिकाओं में एक ही मुद्दा शामिल है, इसलिए इन्हें एक साथ रखा गया है, एक साथ सुना गया है और इस सामान्य आदेश द्वारा निराकरण किया गया है।

3. डी.पी. द्वारा डब्ल्यू.पी.सी. संख्या 4092/2024 दायर की गई है। विप्रा कॉलेज (संक्षेप में, "कॉलेज") के मामले में याचिकाकर्ता किसी विशेष आदेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रकरण संख्या 1 द्वारा उत्तरवादी संख्या 3, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के घोर उल्लंघन को इस न्यायालय के संज्ञान में ला रहे हैं। उत्तरवादी संख्या 1 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2023 (संक्षेप में, "विनियम 2023") के अनुसार याचिकाकर्ता कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के संबंध में 30 दिनों के भीतर आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा कई बार अभ्यावेदन के माध्यम से प्रयास किए गए थे। इस उल्लंघन के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता कॉलेज को एक स्वायत्त कॉलेज के रूप में अपने कार्यों का संचालन करने में बाधा उत्पन्न हुई है और कॉलेज के छात्रों में असंतोष भी पैदा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में, जब उत्तरवादी संख्या 1 – अटल विहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, विनियमों 2023 के तहत उत्तरवादी संख्या 3 – यूजीसी के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है, तो यह उल्लंघन भी न्यायालय के संज्ञान में लाया जा रहा है।डब्ल्यू. पी. सी. सं .4092/2024 में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग की है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"ए. याचिकाकर्ताओं के प्रकरण से संबंधित अभिलेखों को उत्तरवादी अधिकारियों से उनके अवलोकन हेतु मंगवाने के लिए परमादेश रिट और/या आदेश जारी किया जाए।

बी. याचिकाकर्ता कॉलेज की स्वायत्त स्थिति के संबंध में वर्ष 2023 के विनियमों, विशेष रूप से विनियम संख्या 7.2 के अनुसार आवश्यक अधिसूचना जारी करने के लिए उत्तरवादी संख्या 1 को निर्देश देने हेतु एक रिट और/या उपयुक्त रिट की प्रकृति का एक आदेश जारी किया जाए, जिसके तहत उत्तरवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता कॉलेज की स्वायत्त स्थिति के संबंध में 30 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करने के लिए बाध्य है।यायाचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों पर विधिवत निर्णय लेने के लिए उत्तरवादी संख्या 1 को निर्देश देने हेतु एक रिट और/या उपयुक्त रिट के स्वरूप का आदेश जारी किया जाए, विशेष रूप से 2023 के विनियमों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर।

सी. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझा जाये ।

डी . याचिका की लागत भी प्रदान की जा सकती है।"

4. अटल विहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा डी.पी. विप्रा कॉलेज और यूजीसी के खिलाफ दिनांक 19.01.2024 के यूजीसी पत्र को रद्द करने/अपास्त करने के लिए डब्ल्यूपीसी संख्या 778/2025 दायर की गई है।डब्ल्यू. पी. सी.सं.778/2025 में, याचिहेतुकर्ता–विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग की है:---

" 10.1.यह कि, माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन है कि वह उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करके दिनांक 19.01.2024 के यूजीसी पत्र (अनुलग्नक– पृष्ठ 4) को रद्द करने/अपास्त करने और उत्तरवादी कॉलेज की स्वायत्तता के संबंध में यूजीसी द्वारा जारी किए गए परिणामी पत्र को भी रद्द करे, यह घोषित करते हुए कि यूजीसी याचिकाकर्ता को कॉलेज की स्वायत्तता घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

10.2 यह कि, माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह यूजीसी को उचित निर्देश जारी करे कि वह सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की आपत्ति का ठोस संज्ञान ले और कॉलेज का मौके पर निरीक्षण करने के बाद ही इस पर निर्णय ले तथा प्रतिवादी कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करे, उसके बाद ही यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के संबंध में स्वायत्त दर्जा प्रदान करने का निर्देश जारी करे।

10.3 कोई अन्य अनुतोष जो यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों में उचित तथा उपयुक्त समझे।"

5. सुविधा के लिए, डी.पी. विप्रा कॉलेज को "कॉलेज", अटल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को "विश्वविद्यालय" और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को "यूजीसी" कहा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता महाविद्यालय का प्रकरण संक्षेप में यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत गठित राज्य विधानमंडल के अंतर्गत उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने केंद्रीय विधानमंडल, 1956 के तहत गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया है। विश्वविद्यालय ने यूजीसी द्वारा अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए विनियमों, अर्थात् "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम 2023" को नहीं अपनाया है। विनियमों में स्पष्ट रूप से यह आपत्ति जताई गई है कि देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कॉलेजों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

7. डब्लूपीसी संख्या 4092/2024 में एक और विडंबना यह है कि केंद्रीय विधानमंडल के तहत गठित एक वैधानिक निकाय के कानून के आदेश का पालन करने के लिए, इस माननीय न्यायालय से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है, क्योंकि उत्तरवादी विश्वविद्यालय की चूक और गलतियों के कारण अंततः पीड़ित याचिकाकर्ता महाविद्यालय के छात्र हैं, जिन्हें उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने डिग्री प्रदान करने से इनकार कर दिया है, जैसा कि अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होगा। याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है जिसमें प्रतिवादी विश्वविद्यालय से याचिकाकर्ता महाविद्यालय की स्वायत्त स्थिति के संबंध में वर्ष 2023 के विनियम, विशेष रूप से विनियम संख्या 7.2 के अनुसार आवश्यक अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसके तहत उत्तरवादी विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता महाविद्यालय की स्वायत्त स्थिति के संबंध में तीस दिनों के

भीतर अधिसूचना जारी करने के लिए बाध्य है।यह प्रकरण उत्तरवादी –यूजीसी द्वारा दिनांक 19.1.2024 के पत्र (अनुलग्नक पी–1) में उत्तरवादी –विश्वविद्यालय को जारी किए गए निर्देश के इर्द–गिर्द घूमता है।

8. डब्ल्यूपीसी संख्या 778/2025 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण यह है कि विश्वविद्यालय ने यह रुख अपनाया है कि कॉलेज की संबद्धता विश्वविद्यालय के क़ानून संख्या 27 द्वारा शासित है और कॉलेज के कर्मचारी की सेवाएं विश्वविद्यालय के क़ानून संख्या 28 द्वारा शासित हैं, इसलिए प्रतिवादी कॉलेज विश्वविद्यालय के क़ानून संख्या 27 और 28 के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।हालांकि, डी.पी. विप्रा कॉलेज ऐसा करने में विफल रहा और उसने जानबूझकर विश्वविद्यालय के निर्देशों/दिशानिर्देशों की अवहेलना की, जिसके कारण विश्वविद्यालय को अवांछित मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही से बचने के लिए, कॉलेज ने विश्वविद्यालय की पीठ पीछे महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए यूजीसी के समक्ष स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन किया और विश्वविद्यालय से एनओसी/सिफारिश भी मांगी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. चूंकि विश्वविद्यालय महाविद्यालय के संसाधनों और कमियों की वास्तविकता से पूरी तरह अवगत था, इसलिए महाविद्यालय के अनुरोध पर कार्रवाई करने से पहले, विश्वविद्यालय ने पत्र संख्या 565/ए सी ए डी/2023 बिलासपुर दिनांक 09.06.2023 के माध्यम से महाविद्यालय से विशेष बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जिसमें विश्वविद्यालय परीक्षा में महाविद्यालय का शैक्षणिक प्रदर्शन, संकाय का शैक्षणिक विस्तार और अनुसंधान, वित्तीय स्थिति और संस्था प्रबंधन की गुणवत्ता आदि शामिल हैं।इसके अलावा, विश्वविद्यालय के क़ानून–28 के अनुसार नियमित कर्मचारियों के अनुपालन के संबंध में कॉलेज से एक स्पष्ट उत्तर मांगा गया था और प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के बीबीए कार्यक्रम के संचालन के लिए मांगी गई अनुमति के संबंध में भी कॉलेज से उत्तर मांगा गया था, क्योंकि विश्वविद्यालय को सूचित किया गया था कि कॉलेज ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय से ऐसी कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली थी।हालांकि, डी. पी. विप्रा कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहा ।अतः ,कॉलेज में मौजूद कमियों की संख्या को देखते हुए, विश्वविद्यालय ने कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए स्वीकृति/सिफारिश देने से इनकार कर दिया।हालांकि, विश्वविद्यालय की सहमति, एनओसी और सिफारिश के बिना, यूजीसी ने 19.01.2024 को पत्र जारी कर विश्वविद्यालय से अनुरोध किया कि वह यूजीसी (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2023 के खंड 7.5 के अनुसार डी.पी. विप्रा कॉलेज को स्वायत्त कॉलेज का दर्जा 30 दिनों के भीतर अधिसूचित करे। उक्त पत्र के आधार पर, डी.पी. विप्रा कॉलेज ने स्वतः ही स्वयं को स्वायत्त कॉलेज घोषित कर दिया और स्वायत्तता को अपने अधिकार के रूप में दावा किया, जबकि विश्वविद्यालय ने यूजीसी (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2023 को स्वीकार/अपनाया नहीं है। इसलिए, विश्वविद्यालय के क़ानून संख्या 27 में विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, डी.पी. विप्रा कॉलेज विश्वविद्यालय से स्वायत्तता को अपने अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है।

10. यूजीसी का कहना है कि डी.पी. विप्रा कॉलेज ने यह आधार इसलिए लिया है क्योंकि विश्वविद्यालय दिनांक 19.01.2024 के यूजीसी पत्र/अनुरोध से बाध्य है और यूजीसी ने विश्वविद्यालय की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए अपने निर्णय का समर्थन किया है और कॉलेज के मौके पर निरीक्षण के लिए विनियमन 2023 के खंड 9.2 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके विवाद्यक को हल करने के लिए तैयार नहीं है। कॉलेज और यूजीसी ने भी यही रुख अपनाया है कि यूजीसी (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2023 अनिवार्य प्रकृति का है, इसलिए विश्वविद्यालय 19.01.2024 के यूजीसी के अनुरोध का पालन करने के लिए बाध्य है।11. याचिकाकर्ता–कॉलेज (डब्ल्यूपीसी संख्या 4092/2024) और उत्तरवादी संख्या 1 (डब्ल्यूपीसी संख्या 778/2025) के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी––विश्वविद्यालय की ओर से की गई चूक और कमीशन की कार्यवाही मनमानी, अवैध और विधि के शासन के ढांचे का उल्लंघन है।उन्होंने आगे कहा कि 2023 के विनियमों के अनुसार उत्तरवादी विश्वविद्यालय को 30 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करना अनिवार्य है और 19.1.2024 को ही प्रतिवादी विश्वविद्यालय परिषद द्वारा याचिकाकर्ता महाविद्यालय को स्वायत्त दर्जा प्रदान कर दिया गया था, तथा आज तक पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद उत्तरवादी विश्वविद्यालय अधिसूचना जारी करने में विफल रहा है, जो 1956 के अधिनियम और विधि के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन है।यह तर्क दिया गया है कि संबंधित उत्तरवादी अधिकारी याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर मौन नहीं रह सकते है और विधि के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि मामले में आगे बढ़ने से पहले, यह न्यायालय उत्तरवादी विश्वविद्यालय को कानून के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश जारी करे।यह भी तर्क दिया गया है कि दिनांक 19.01.2024 के पत्र के माध्यम से उत्तरवादी विश्वविद्यालय परिषद ने याचिकाकर्ता को स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है।उक्त पत्र के अनुपालन में, उत्तरवादी विश्वविद्यालय को इसकी सूचना देनी आवश्यक है।हालांकि, उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने आज तक इसकी सूचना नहीं दी है।अतः, उत्तरवादी विश्वविद्यालय को निर्धारित समय सीमा के भीतर इसकी सूचना देने का निर्देश जारी किया जाए।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है:––

अन्नामलाई विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिनिधित्व, बनाम सरकार के सचिव, सूचना एवं पर्यटन विभाग और अन्य, (2009) 4 एससीसी 590, कल्याणी मथिवानन बनाम के.वी. जयराज और अन्य, (2015) 6 एससीसी 363, गंभीरधन के. गढ़वी बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2022) 5 एससीसी 179, प्रोफेसर (डॉ.) श्रीजीत पी.एस. बनाम डॉ. राजश्री एम.एस. और अन्य, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1473, साथ ही दिनांक 15.04.2024 का आदेश; पक्षकारों– मेहर फातिमा हुसैन बनाम जामिया मिलिया इस्लामिया और अन्य द्वारा सिविल अपील संख्या 4963/2024 में पारित निर्णय,

जो विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8333/2023 से उत्पन्न हुआ है, का उल्लेख देते हुए, उन्होंने अपने तर्कों को पुष्ट किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दूसरी ओर, डब्ल्यूपीसी संख्या 4092/2024 में उत्तरवादी –विश्वविद्यालय और डब्ल्यूपीसी संख्या 778/2025 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यूजीसी के दिनांक 19.01.2024 और 27.11.2024 के आक्षेपित पत्र स्पष्ट रूप से अवैध हैं, विधि के तहत प्रदत्त अधिकार से अधिक हैं, मनमाने हैं और इसके अतिरिक्त घोर प्रक्रियात्मक अनियमितता से ग्रस्त हैं।उन्होंने आगे तर्क दिया गया है कि यूजीसी अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–1 की प्रविष्टि 66 में पाया जा सकता है और राज्य विधानमंडल द्वारा जारी छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को सूची की प्रविष्टि 25 में पाया जा सकता है। अब यह विधि काफी हद तक स्थापित हो चुका है कि विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों को कम करना संभव नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालयों के लिए हमेशा उन्नत मानदंड निर्धारित करना संभव है।यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 27.11.2024 का पत्र जारी करते समय यूजीसी ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि डी.पी. विप्रा कॉलेज एक संबद्ध कॉलेज है और विश्वविद्यालय द्वारा इसे संबद्धता यूजीसी के नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय के क़ानून संख्या 27 के तहत प्रदान की गई थी। यूजीसी विनियमन 2009 के खंड 3.4.14 के अनुसार, कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, हालांकि, कॉलेज वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है।इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि यूजीसी के पास उस विषय के संबंध में कॉलेज को स्वायत्तता प्रदान करने का अधिकार है जिसके लिए यूजीसी द्वारा कॉलेज को मान्यता दी गई है। हालांकि, यूजीसी के पास उन विषयों के संबंध में स्वायत्तता प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है जिनके लिए एआईसीटीई, एनसीटीई, बीसीआई, पीसीआई और अन्य नियामक प्राधिकरणों को नियम बनाने का अधिकार है।इस बात में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता कॉलेज में चलाए जा रहे व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों जैसे बीबीए, बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए आदि के संबंध में एआईसीटीई नियामक प्राधिकरण है। अतः, यूजीसी से स्वायत्तता की अवधारणा सीमित है और याचिकाकर्ता कॉलेज को व्यावसायिक/तकनीकी कार्यक्रमों के संबंध में यूजीसी से स्वायत्तता प्राप्त नहीं है।यह प्रस्तुत किया गया है कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, हालांकि संबद्धता प्रदान करने वाला प्राधिकरण होने के नाते, यह केवल एआईसीटीई या अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।हालांकि, विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज में अनियमितता/कमी पाए जाने के कारण, याचिकाकर्ता कॉलेज ने कॉलेज को इन कमियों को दूर करने के लिए मार्गदर्शन देने का प्रयास किया, लेकिन अनियमितताओं/कमियों को दूर करने के बजाय याचिकाकर्ता कॉलेज स्वयं विश्वविद्यालय के साथ विवाद में उलझ गया है।आगे यह भी कहा गया है कि कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी देने से बच रहा है और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहा है।कॉलेज ने विधि संख्या 27 और 28 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है और विश्वविद्यालय के निर्देशों का लगातार उल्लंघन किया है। उपरोक्त परिस्थितियों में, विश्वविद्यालय कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने की सिफारिश नहीं कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि कॉलेज ने विश्वविद्यालय की एनओसी/सिफारिश के बिना यूजीसी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था और कॉलेज ने यूजीसी से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी छुपाया था। इस प्रकार कॉलेज में कई कमियां हैं जिन्हें वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज 09.06.2023 के विश्वविद्यालय के पत्र का जवाब नहीं दे रहा है और याचिकाकर्ता कॉलेज ने बीबीए कार्यक्रम संचालित करने के लिए मांगी गई अनुमति के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित भी नहीं किया है। यह बताना सुसंगत है कि शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए बीबीए के भाग–I में प्रवेश दिया गया था, और इसे जारी रखने के लिए, शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए बीबीए भाग-II और शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए बीबीए भाग-III संचालित करने के लिए पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना कॉलेज की जिम्मेदारी थी। हालांकि, बिना किसी पूर्व स्वीकृति के, याचिकाकर्ता कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2020–2021 में बीबीए भाग-II में चार छात्रों को प्रवेश दिया है और बीबीए भाग III मे तीन छात्रों को प्रवेश दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता कॉलेज ने कदाचार किया है और सरकार और विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया है, विशेष रूप से, इसने शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन किया है और बिना मंजूरी प्राप्त किए प्रवेश दिया है, हालांकि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय ने बीबीए के छात्रों की परीक्षा आयोजित की है।परंतु संभावना है कि याचिकाकर्ता कॉलेज स्वायत्त दर्जा मिलने के बाद भी इस तरह की अनियमितताएं जारी रखेगा।इसके अलावा, विश्वविद्यालय के नियम–27/28 में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति विशेषज्ञ समिति के माध्यम से चयन द्वारा करने का प्रावधान है, लेकिन याचिकाकर्ता कॉलेज नियमों के प्रावधानों का पालन किए बिना शिक्षकों को हटाने में लिप्त है।इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए यह कहना आवश्यक है कि वैधानिक मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित कई रिट याचिकाएँ या तो लंबित हैं या विश्वविद्यालय के पक्ष में निर्णयित की जा चुकी हैं।यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कॉलेज प्रत्येक मामले में कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों के समय और संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी में लिप्त है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उपरोक्त पृष्ठभूमि के संदर्भ में, विश्वविद्यालय ने दिनांक 09.06.2023 के पत्र के माध्यम से उपर्युक्त कारणों से स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के संबंध में यूजीसी के अवर सचिव को अपनी आपत्ति सूचित की थी।हालांकि, अचानक दिनांक 19.01.2024 के पत्र के माध्यम से यूजीसी के उप सचिव ने 30 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया है।विश्वविद्यालय ने 19.01.2024 को यूजीसी का पत्र प्राप्त होने के बाद कार्यकारी परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई और 08.02.2024 को हुई बैठक में इस मामले को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा। मामले पर गहन चर्चा के बाद विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने कॉलेज को स्वायत्त दर्जा देने के अपने निर्णय की समीक्षा के लिए यूजीसी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।विश्वविद्यालय ने 20.02.2024 के पत्र के माध्यम से कार्यकारी परिषद के इस निर्णय की सूचना कॉलेज को भी दी।अंत में उन्होंने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा प्रदान करने संबंधी निर्णय लेने और दिनांक 19.01.2024 का पत्र जारी करने से पहले उत्तरवादी विश्वविद्यालय को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, जिसके लिए उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने दिनांक 09.02.2024 के पत्र के माध्यम से उत्तरवादी यूजीसी को आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन उत्तरवादी यूजीसी दिनांक 19.01.2024 के पत्र के संबंध में उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विश्वविद्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है।अतः,जब तक उत्तरवादी–यूजीसी द्वारा इस संबंध में निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक उत्तरवादी–विश्वविद्यालय दिनांक 19.01.2024 के आदेश का अनुपालन करने की स्थिति में नहीं है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जगदीश प्रसाद शर्मा बनाम बिहार राज्य और अन्य (2013) 8 एससीसी 633, कल्याणी मतिवनन बनाम के.वी. जयराज और अन्य (2015) 6 एससीसी 363, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अन्य बनाम जय भारत कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और अन्य (2021) 2 एससीसी 564, पी.जे. धर्मराज बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया और अन्य (2024) 12 एससीआर 374 और जे.के. इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ (2007) 12 एससीआर 136 के मामलों में दिए गए निर्णयों के साथ–साथ दिनांक 05.09.2017 के पक्षकार मांडवी साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य**, इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीएस संख्या 3572/2017 में पारित आदेश और साथ ही **आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद सलीम और अन्य बनाम** पी. रामाराव (1999) 6 एएलडी 387 के मामले में पारित आदेश, उनके तर्कों को पुष्ट करने के लिए भी भरोसा किया गया है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उत्तरवादी–यूजीसी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने संबंधी दिनांक 19.01.2024 के पत्र जारी करने से पहले उत्तरवादी–विश्वविद्यालय को आपत्तियां आमंत्रित करते हुए पत्र भेजे गए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई और इसीलिए आदेश पारित किया गया।उन्होंने आगे बताया कि यूजीसी के पोर्टल पर विश्वविद्यालय से निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का अनुरोध किया गया था, हालांकि पोर्टल पर आपत्ति दर्ज न होने के कारण विश्वविद्यालय को स्वायत्त दर्जा प्रदान कर दिया गया।यह तर्क दिया गया है कि प्रथम, उत्तरवादी विश्वविद्यालय को दिनांक 19.01.2024 के पत्र का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यह उन पर बाध्यकारी है।यद्यपि, यह इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि उत्तरवादी विश्वविद्यालय की दिनांक 09.02.2024 की आपत्तियाँ प्रतिवादी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त हो चुकी हैं। यह तर्क दिया गया है कि महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2023 (जिसे आगे विनियम 2023 कहा गया है) नामक विनियम जारी किया है।2023 के उक्त विनियम में यह प्रावधान है कि यदि महाविद्यालय और संस्थान कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है। यह तर्क दिया गया है कि 17.01.2022 को महाविद्यालय ने यूजीसी विनियमों के खंड 7.1 के अनुसार स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे 09.06.2023 को 63 वीं स्थायी समिति की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया था और पुनः 17.09.2023 को महाविद्यालय ने स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन किया।कॉलेज से संबद्ध विश्वविद्यालय ने पोर्टल पर कोई टिप्पणी नहीं दी और प्रस्ताव को 22.10.2023 को आयोजित 66 वीं स्थायी समिति की बैठक में रखा गया, जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि "विश्वविद्यालय से यूजीसी के संचार के 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ स्पष्ट

सिफारिश/गैर–सिफारिश प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।"आगे यह तर्क दिया गया है कि कॉलेज को संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय ने 15.09.2023 के यूजीसी पत्र का जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद आवेदन को स्थायी समिति की 67 वीं बैठक के समक्ष रखा गया और समिति ने कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को आयोग ने 16.01.2024 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया और 19.01.2024 को यूजीसी कार्यालय ने विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखकर स्वायत्त कॉलेज संबंधी स्थायी समिति द्वारा विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के निर्णय के बारे में सूचित किया।यह प्रस्तुत किया गया है कि 16.02.2024 को विश्वविद्यालय ने कॉलेज की सिफारिश के संबंध में यूजीसी को एक आपत्ति पत्र लिखा, जिसके जवाब में विश्वविद्यालय ने 15.03.2024 को यूजीसी को एक पत्र भेजकर कॉलेज की स्वायत्त स्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए सभी विवादों को स्पष्ट किया।इसके बाद, विश्वविद्यालय ने 20.02.2024 को डी.पी. विप्रा कॉलेज, ओल्ड हाई कोर्ट रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल को शासी निकाय/शैक्षणिक परिषद के नामांकन के संबंध में एक पत्र लिखा।उक्त पत्र सूचना के लिए यूजीसी को भेजा गया था, जो 16.04.2024 को प्राप्त हुआ था। साथ ही, यूजीसी ने 22.08.2024 को संबंधित विश्वविद्यालय को एक ई–मेल भेजकर स्पष्ट किया था कि शासी निकाय/शैक्षणिक परिषद के नामांकन के लिए, 03.04.2023 के 2023 के विनियमों का खंड 12 स्वतः स्पष्ट है और अनिवार्य दिशानिर्देश का पालन किया जाना आवश्यक है।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कॉलेज को 19.01.2024 को 2024–2025 से 2033–2034 की अवधि के लिए स्वायत्त दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय ने स्वायत्त दर्जा अधिसूचित नहीं किया है। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा करना यूजीसी के पत्र के विपरीत और 2023 के विनियमों के विरुद्ध होगा। यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय की शिकायत का निवारण कर दिया गया है और उन्हें 15.03.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।अंत में यह निवेदन किया गया है कि इन रिट याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा संबद्ध विश्वविद्यालय के विरुद्ध है और यूजीसी केवल एक औपचारिक पक्षकार है, और चूंकि यूजीसी के विरुद्ध अनुतोष का दावा नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान याचिकाएं खारिज किए जाने के योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों को सुना और उन पर विचार किया है तथा वर्तमान मामलों से संबंधित प्रासंगिक नियमों और धाराओं के साथ–साथ रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है।

16. इस समय, कुछ ऐसे खंडों और विनियमों को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जो इन मामलों के निर्णय के लिए आवश्यक हैं; इन्हें आसान संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:–––

17. वर्ष 2023 के विनियमों की अधिसूचना 03.04.2023 को प्रकाशित की गई है और उक्त वर्ष 2023 के विनियमों की प्रस्तावना नीचे दी गई है:**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2023**

प्रस्तावना

एफ. संख्या 1–18/2021 (सीपीपी-II)–जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण करने का अधिकार है; जबकि कॉलेज की स्वायत्तता व्यापक आधार वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है;

जबकि आयोग ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है;और चूंकि देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कॉलेजों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।इसलिए अतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2018 को निरस्त करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 के खंड (j) के साथ धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (f) और (g) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन तथा टिप्पणीः

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम देश के उन सभी कॉलेजों/संस्थानों पर लागू होंगे जो विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं या उनके घटक कॉलेज हैं और स्वायत्त कॉलेज का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं।

1.3 ये विनियम राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।"

18. धारा 2 (एफ) में "विश्वविद्यालय" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम आदि के तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय। 1956 के अधिनियम का अध्याय-III आयुक्त की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, जिसमें विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी करना आदि भी शामिल है।धारा 12 (ब) आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त करने के योग्य घोषित न किए गए विश्वविद्यालय को अनुदान देने पर रोक लगाती है।धारा 14 आयोग की अनुशंसा का पालन न करने पर विश्वविद्यालय के परिणामों से संबंधित है।1956 के अधिनियम की धारा 26 उत्तरवादी संख्या 3 को विनियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है

और आयोग आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है।

19. धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त ऐसे अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उत्तरवादी–यूजीसी ने 3.4.2023 को अधिसूचना जारी कर 2023 के विनियमों को प्रकाशित किया है।उक्त अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी–यूजीसी को विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के समन्वय और निर्धारण का दायित्व सौंपा गया है और इसमें आगे कहा गया है कि कॉलेजों की स्वायत्तता व्यापक आधार वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही, इसमें यह भी कहा गया है कि देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कॉलेजों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना आवश्यक है।इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2023 के विनियम बनाए गए हैं।2023 के विनियमों के तहत, कॉलेज को विनियम 2.4 के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः–––

" 2.4."कॉलेज" से तात्पर्य किसी भी संस्था (संबद्ध कॉलेज या घटक कॉलेज) से है, चाहे वह इसी नाम से जानी जाती हो या किसी अन्य नाम से, जो किसी विश्वविद्यालय से कोई योग्यता प्राप्त करने के लिए स्नातक और/या स्नातकोत्तर और/या पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करती है और जो ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार, ऐसे कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को प्रदान करने और ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करने के लिए परीक्षा में प्रस्तुत करने के लिए सक्षम के रूप में मान्यता प्राप्त है।"

20. 'मूल विश्वविद्यालय' शब्द को विनियमन 2.10 के तहत परिभाषित किया गया है तथा तैयार संदर्भ हेतु इस संबंध में किए गए प्रावधानों को नीचे उद्धृत किया गया हैः–––

" 2.10."मूल विश्वविद्यालय "से वह विश्वविद्यालय अभिप्रेत है जिससे संबंधित महाविद्यालय संबद्ध है या जिसका संबंधित महाविद्यालय एक घटक है।"

21. यूजीसी विनियम 2009 के खंड 3.4.14 के अनुसार, कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है, हालांकि इस मामले में कॉलेज वैधानिक प्रावधान का पालन करने में विफल रहा है संबंधित खंड को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:–––

"3.4.14 – कॉलेज, यूजीसी/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक मानक के रखरखाव के संबंध में कॉलेज के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक सभी रिटर्न और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा और यूजीसी/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा इसके रखरखाव के लिए निर्देशित कार्यवाही करेगा।"

22. वर्तमान मामलों में लागू विधि में गहराई से जाने की आवश्यकता है।भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद द्वारा 1956 का अधिनियम विश्वविद्यालयों में समन्वय और मानकों के निर्धारण के लिए प्रावधान करने और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने हेतु अधिनियमित किया गया था। 1956 के अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विधान के तहत 2023 के विनियम बनाए गए हैं और संदर्भ के लिए विनियम 3 और 4 नीचे उद्धृत किए गए हैं:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"3. एक स्वायत्त महाविद्यालय की भूमिका, निबंधन तथा शर्तेंःसामान्यतः और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, स्वायत्त महाविद्यालय की भूमिका, नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी:3.1 मौजूदा पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना तथा अपने स्वयं के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और पाठ्यक्रम का पुनर्गठन, पुन: डिज़ाइन करना और निर्धारित करे।

3.2 यूजीसी द्वारा समय–समय पर संशोधित डिग्री विनिर्देश 2014 के अनुसार निर्दिष्ट नामकरण के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम तैयार करना।

3.3 छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन, परीक्षा संचालन और परिणाम अधिसूचना की विधियों को विकसित करना।

3.4 परिणाम घोषित करना, अंकपत्र और अन्य प्रमाण पत्र जारी करना; यद्यपि, डिग्री मूल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी और डिग्री प्रमाण पत्र पर कॉलेज का नाम अंकित होगा।

3.5 स्वायत्त कॉलेजों को मूल विश्वविद्यालय को संबद्धता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

3.6 राज्य सरकार/राष्ट्रीय नीति की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश के लिए नियम निर्धारित करना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.7 स्वायत्त महाविद्यालय अपने स्तर पर राज्य सरकार/वैधानिक परिषद(ओं) के मानदंडों के अनुसार शुल्क निर्धारित कर सकते हैं।

3.8 स्वयं का शासी निकाय, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति और अध्ययन बोर्ड गठित कर सकते हैं।

3.9 सभी स्वायत्त कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ और प्रधानाचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुसार, समय–समय पर संशोधित रूप में, या इस संबंध में यूजीसी द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किसी भी विनियम के अनुसार की जाएगी।

3.10 महाविद्यालय को दी गई स्वायत्तता संस्थागत स्तर पर है और यह अविभाजित है तथा महाविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी स्तरों के कार्यक्रमों पर लागू होगी। स्वायत्त दर्जा प्राप्त होने के बाद महाविद्यालय द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रम स्वतः ही स्वायत्तता के दायरे में आ जाएंगे।

3.11 पीएचडी कार्यक्रम समय–समय पर इस संबंध में अधिसूचित यूजीसी विनियमों के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे।

3.12 स्वायत्त दर्जा प्रारंभ में इन विनियमों के खंड 7 के अनुसार पांच या दस वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।

3.13 स्वायत्तता का आगे विस्तार इन विनियमों के खंड 8 के अनुसार पांच या दस वर्ष की अवधि के लिए होगा।

4. मूल विश्वविद्यालय की भूमिकाःसामान्य तौर पर और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, मूल विश्वविद्यालय की भूमिका निम्नानुसार होगी:

4.1 कॉलेज के स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने के आवेदन की यूजीसी पोर्टल पर जांच करना और यूजीसी पोर्टल पर 30 कार्य दिवसों के भीतर कारणों/स्पष्टीकरण सहित अपनी सिफारिशें देना।यदि मूल विश्वविद्यालय 30 कार्य दिवसों के भीतर यूजीसी पोर्टल पर कोई उत्तर नहीं देता है, तो यह मान लिया जाएगा कि मूल विश्वविद्यालय को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है।

4.2 यूजीसी द्वारा कॉलेज को स्वायत्त दर्जा दिए जाने के बाद, कॉलेज को स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए 30 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करना।

4.3 स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने के बाद भी कॉलेज मूल विश्वविद्यालय से संबद्ध रहेगा, लेकिन उसे स्वायत्तता के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

4.4 स्वायत्त कॉलेज के विभिन्न वैधानिक निकायों में मनोनीतियों का प्रावधान करना।

4.5 इन नियमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. नियम 6 में कॉलेज को स्वायत्त दर्जा दिए जाने की पात्रता का उल्लेख है, जिसमें यह भी शामिल है कि कॉलेज को एन. ए. सी. सी आदि द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता कॉलेज नियम 6 के तहत स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र है, इसलिए जैसा कि ऊपर बताया गया है, आवेदन दाखिल किया गया है।नियम 7 में स्वायत्त दर्जा प्रदान करने का प्रावधान है।नियम 6 और 7 सुसंगत हैं और नीचे उद्धृत किए गए हैं:---

"6. पात्रता

6.1 किसी भी विषय के संबद्ध या घटक महाविद्यालय, चाहे वे सरकारी हों, सहायता प्राप्त हों, आंशिक रूप से सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त/स्व-वित्तपोषित हों, पात्र हैं, परंतु वे यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) के अंतर्गत आते हों

6.2 महाविद्यालय की स्थापना कम से कम 10 वर्ष पुरानी होनी चाहिए।

6.3 महाविद्यालय को एनएएसी द्वारा; या एनबीए द्वारा कम से कम तीन कार्यक्रमों के लिए; या यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।हालांकि, यदि कॉलेज द्वारा संचालित कार्यक्रमों की संख्या तीन से कम है, तो प्रत्येक पात्र कार्यक्रम को एनबीए मानदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त

होनी चाहिए।आवेदन के समय मान्यता की स्थिति कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए। संबद्ध कॉलेजों को भी स्वतंत्र मान्यता प्रक्रिया से गुजरना होगा।

6.4 आयोग किसी कॉलेज को इन विनियमों के खंड 6.2 और 6.3 से छूट दे सकता है, यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी फोकस क्षेत्र में कार्यक्रम प्रदान करता है:

–विशिष्ट विषयों में विशेषज्ञता, जैसे विशेष शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, योग, रक्षा अध्ययन
– देश की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करना

– भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में संलग्न

– पर्यावरण संरक्षण

– कौशल विकास, खेल, भाषाओं के लिए समर्पित

– आयोग द्वारा इस प्रकार निर्धारित कोई अन्य विषय/क्षेत्र।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. स्वायत्त स्थिति का सम्मेलन –

7.1 इन विनियमों के खंड 6 के अनुसार पात्रता पूरी करने वाला कोई महाविद्यालय, जो स्वायत्त बनना चाहता है, वर्ष के दौरान किसी भी समय यूजीसी पोर्टल पर आवेदन जमा करेगा।हालाँकि, स्वायत्तता प्रदान करने/स्वायत्तता के विस्तार के लिए ऐसे प्रस्तावों के मामले में, जो इन विनियमों की अधिसूचना से पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और यूजीसी द्वारा विचाराधीन हैं, किसी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी, और यूजीसी इन विनियमों के अनुसार ऐसे सभी लंबित प्रस्तावों पर विचार करेगा, परंतु कि इन विनियमों की अधिसूचना के समय मान्यता की स्थिति छह महीने के लिए वैध हो या मान्यता की वैधता छह महीने से कम होने की स्थिति में पुनर्मान्यता के लिए आवेदन किया गया हो।

7.2 मूल विश्वविद्यालय यूजीसी पोर्टल पर कॉलेज के स्वायत्त दर्जे के आवेदन की जांच करेगा और यूजीसी पोर्टल पर आवेदन जमा करने की तिथि से 30 कार्य दिवसों के भीतर कारणों/औचित्य सहित अपनी सिफारिशें देगा।यदि मूल विश्वविद्यालय यूजीसी पोर्टल पर 30 कार्य दिवसों के भीतर कोई उत्तर नहीं देता है, तो यह मान लिया जाएगा कि मूल विश्वविद्यालय को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है।

7.3 यूजीसी की एक स्थायी समिति कॉलेज के स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के आवेदन की जांच करेगी। स्थायी समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा और इसका निर्णय मूल विश्वविद्यालय और कॉलेज को सूचित किया जा सकता है।

7.4 यदि कॉलेज को एनएएसी या एनबीए द्वारा कम से कम तीन कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के लिए मान्यता प्राप्त है; या यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध मान्यता एजेंसी से मान्यता प्राप्त है, तो शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पांच वर्षों की

अवधि के लिए स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जाएगा।हालांकि, यदि कॉलेज द्वारा संचालित कार्यक्रमों की संख्या तीन से कम है, तो प्रत्येक पात्र कार्यक्रम को एनबीए मानदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।आवेदन जमा करने के समय प्रत्यायन स्थिति कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए;

7.5 स्वायत्त दर्जा प्रारंभ में शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से दस वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, यदि कॉलेज को एन. ए. ए. सी द्वारा न्यूनतम 'ए'' ग्रेड (एन. ए. ए. सी के 4–पॉइंट स्केल पर 3.01 या उससे अधिक अंक) के साथ या एन. बी. ए द्वारा कम से कम तीन कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम 675 अंकों के साथ या यू. जी. सी द्वारा सूचीबद्ध प्रत्यायन एजेंसी से समकक्ष प्रत्यायन ग्रेड/स्कोर के साथ मान्यता प्राप्त है। हालांकि, यदि कॉलेज द्वारा संचालित कार्यक्रमों की संख्या तीन से कम है, तो एन. बी. ए. मानदंडों के अनुसार प्रत्येक पात्र कार्यक्रम को 675 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए।आवेदन जमा करने के समय मान्यता की स्थिति कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए;

7.6 यदि किसी महाविद्यालय के स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन को यूजीसी द्वारा किसी भी कारण से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो महाविद्यालय यूजीसी पोर्टल पर पुनः आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसके पहले आवेदन की अस्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष से पहले नहीं।

7.7.एक स्वायत्त कॉलेज, उसी स्वायत्त कॉलेजों के मूल निकाय द्वारा संचालित किसी अन्य स्वायत्त कॉलेज/संस्थान के साथ, मूल विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों की पूर्व स्वीकृति से विलय कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. वर्ष 2023 के विनियमों के खंड 7.2 का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल विश्वविद्यालय का यह दायित्व है कि वह यूजीसी पोर्टल पर कॉलेज के स्वायत्त दर्जे के आवेदन की जांच करे और यूजीसी पोर्टल पर आवेदन जमा करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कारण और औचित्य सहित अपनी सिफारिश दे।इसमें आगे यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि मूल विश्वविद्यालय यूजीसी पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है, तो यह मान लिया जाएगा कि मूल विश्वविद्यालय को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है।उपरोक्त विनियम 4.2 का गहन अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यूजीसी द्वारा स्वायत्त दर्जा प्रदान किए जाने के बाद, प्रतिवादी विश्वविद्यालय को कॉलेज को स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए 30 दिनों के भीतर नोटिस जारी करना अनिवार्य है।

25. विनियम 10 नए पाठ्यक्रमों के प्रारंभ से संबंधित मामलों से संबंधित है, जो स्वायत्त महाविद्यालय को विश्वविद्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना कुछ पाठ्यक्रम प्रारंभ करने में सक्षम बनाता है। विनियम 10.1 में निर्दिष्ट है कि स्वायत्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना डिप्लोमा (स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर) या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र है; हालांकि, जहां आवश्यक हो, महाविद्यालय के संबंधित वैधानिक निकायों की स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।इसमें आगे कहा

गया है कि डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कॉलेज की मुहर के तहत जारी किए जाएंगे। हालांकि, नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।

नियम 10.2 किसी स्वायत्त कॉलेज को कॉलेज की अकादमिक परिषद और जहां भी आवश्यक हो, संबंधित वैधानिक परिषदों की स्वीकृति से एक नया डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/पीएच.डी. शुरू करने में सक्षम बनाता है, परंतु कि डिग्री का नामकरण समय–समय पर संशोधित डिग्री विनिर्देशन संबंधी यूजीसी अधिसूचना, 2014 के अनुरूप हो। हालांकि, ऐसे पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों/यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को घंटों की संख्या, पाठ्यक्रम सामग्री और मानकों के संदर्भ में पूरा करेंगे, और विश्वविद्यालय को ऐसे पाठ्यक्रमों की विधिवत सूचना दी जाएगी।

26. नियम 9 स्वायत्त कॉलेजों की निगरानी से संबंधित है और नियम 13 नियमों के उल्लंघन के परिणामों से संबंधित है, जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:–––

"9. स्वायत्त महाविद्यालयों की निगरानीः

9.1 महाविद्यालय की नियमित निगरानी हेतु स्वायत्त महाविद्यालय में आई. क्यू. ए. सी. की स्थापना की जाएगी।आईक्यूएसी में दो या दो से अधिक सदस्यों वाली एक बाह्य सहकर्मी समिति होगी, जो प्रोफेसर से कम रैंक के प्रतिष्ठित शिक्षाविद नहीं होंगे।स्वायत्त महाविद्यालय के प्रदर्शन संबंधी रिपोर्ट भी महाविद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।बाह्य सहकर्मी समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

9.2 यूजीसी स्वयं या आईक्यूएसी की बाह्य समकक्ष टीम की प्रतिकूल रिपोर्ट की स्थिति में या किसी सूचना/शिकायत की प्राप्ति पर, जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके निरीक्षण करा सकता है और प्रबंधन को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अधिसूचना और एक स्पष्ट आदेश पारित करके कॉलेज की स्वायत्त स्थिति को रद्द कर सकता है।

9.3 स्वायत्त कॉलेज अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपने द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों की फीस, योग्यता और विशिष्ट आईडी सहित संकाय का विवरण, प्रवेश प्रक्रिया, संबंधित अवसंरचनाओं का विवरण, स्वायत्त कॉलेज की अनुसंधान गतिविधियों के साथ–साथ यदि कोई हो, तो नामांकित पीएचडी छात्रों का विवरण, नामांकन की तिथि, विषय और पर्यवेक्षक का विवरण अपलोड करेगा।

9.4 स्वायत्त महाविद्यालय समय–समय पर अधिसूचित यूजीसी विनियमों के अनुसार विभिन्न समितियों/प्रकोपों के गठन की जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।स्वायत्त महाविद्यालय वैधानिक निकायों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करेगा और बैठकों का विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9.5 स्वायत्त महाविद्यालय आयोग द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट वेब पोर्टलों पर ऐसी जानकारी भी अपलोड करेगा।

13. विनियमों के उल्लंघन के परिणाम –

13.1 स्वायत्त कॉलेज समय–समय पर आयोग द्वारा बनाए और जारी किए गए यूजीसी विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करेंगे, अन्यथा यूजीसी दोषी स्वायत्त कॉलेज के खिलाफ उचित कार्यवाही कर सकता है, जिसमें स्वायत्त दर्जा रद्द करना भी शामिल है।"

27. उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विनियम 4.2 के तहत उत्तरवादी –विश्वविद्यालय किसी कॉलेज को स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए तीस दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करने के लिए बाध्य है, जब यूजीसी द्वारा कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जाता है। यह दोहराया जाता है कि यूजीसी द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 26 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बनाए गए विनियम 4.2 का उत्तरवादी –विश्वविद्यालय द्वारा पालन नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि मामला यू. जी. सी. द्वारा प्रत्यर्थी–विश्वविद्यालय को अपने दिनांकित पत्र 19.1.2024 में जारी किए गए निर्देश के इर्द–गिर्द घूमता है तथा पत्र के प्रासंगिक कंडिका को तत्काल अवलोकन हेतु नीचे उद्धृत किया गया है:---

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम 2023 के खंड 7.5 के अनुसार, आयोग ने 16.1.2024 को आयोजित अपनी बैठक में स्वायत्त कॉलेजों पर स्थायी समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अटल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से संबद्ध डी.पी. विप्रा कॉलेज, ओल्ड हाई कोर्ट रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को शैक्षणिक वर्ष 2024–25 से 2033–34 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है।"अतः विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम 2023 के अनुसार कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के संबंध में तीस दिनों के भीतर आवश्यक अधिसूचना जारी करे।"

29.उत्तरवादी –विश्वविद्यालय ने इस न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से अपने उत्तर के कंडिका–5 में प्रस्तुत किए गए कथन के साथ एक दलील पेश की, जो इस प्रकार है:---

5. यह कि उत्तरवादी को यूजीसी से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है, और न ही विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2023 को अपनाया है, इसलिए उपरोक्त यूजीसी विनियमन राज्य अधिनियम के तहत स्थापित राज्य विश्वविद्यालय पर स्वतः लागू नहीं हो सकता है।यह सर्वविदित विधि है कि "राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा कोई सचेत निर्णय लिए बिना यूजीसी की अनुशंसाओं का स्वतः अनुप्रयोग नहीं हो

सकता है।"यूजीसी विनियमन को न अपनाने की स्थिति में, विश्वविद्यालय के नियम प्रभावी होंगे।इसलिए, याचिकाकर्ता कॉलेज विश्वविद्यालय से स्वायत्तता का दावा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि विश्वविद्यालय यूजीसी की योजना को नहीं अपना लेता है।

30. इस स्तर पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि उत्तरवादी –यूजीसी ने इस न्यायालय के समक्ष अपने उत्तर के कंडिका 4 में निम्नलिखित तर्क दिया है:---

4. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय संसद/राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अनुसार स्थापित स्वायत्त निकाय हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है और कोई भी विश्वविद्यालय या संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है।"

31. यह मामला इस माननीय न्यायालय के समक्ष कई बार सुनवाई के लिए आया है और चूंकि अभिलेखों से स्पष्ट है कि उत्तरवादी–विश्वविद्यालय की कार्यवाही विधि के अनुरूप नहीं है, इसलिए इस न्यायालय ने 15.01.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया है, जिसमें निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:---

उत्तरवादी/विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने तीन दिन का समय मांगा है और उन्हें यह समय दिया जाता है कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें यह कहा गया हो कि "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2023" विश्वविद्यालयों पर तब तक बाध्यकारी नहीं है जब तक कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा इसे अपनाया नहीं जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. न्यायालय के दिनांक 15.01.2025 के आदेश के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, अटल विहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय की सहायक रजिस्ट्रार श्रीमती नेहा यादव ने 22.01.2025 को निम्नलिखित आशय का शपत पत्र दाखिल किया है:---

"2. मेरी समझ और ज्ञान के अनुसार, जो पी.जे. धर्मराज बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है, "यूजीसी विनियम राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों पर तब तक बाध्यकारी नहीं है जब तक कि इसे अपनाया न जाए।"उपरोक्त के तहत, "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2023" विश्वविद्यालयों पर तब तक बाध्यकारी नहीं है जब तक कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा इसे अपनाया न जाए।"

33. इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाला एकमात्र आधार यह है कि चूंकि प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने 2023 के विनियमों को नहीं अपनाया है और उत्तरवादी विश्वविद्यालय राज्य विधानमंडल यानी 1976 के अधिनियम के तहत गठित है, इसलिए यह 2023 के विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।भारत

के संविधान के भाग XI के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है और अध्याय–1 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन है।

34. भारत के संविधान का अनुच्छेद 245 यह प्रावधान करता है कि संसद भारत के संपूर्ण या किसी भाग के लिए कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल राज्य के संपूर्ण या किसी भाग के लिए कानून बना सकता है।अनुच्छेद 246 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के विषयवस्तु से संबंधित है।अनुच्छेद 251 उस स्थिति से संबंधित है जब अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में असंगति हो, और यह अनिवार्य करता है कि यदि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधान के विपरीत है, जिसे संसद को उक्त अनुच्छेदों में से किसी एक के तहत बनाने का अधिकार है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से पहले या बाद में पारित किया गया हो, प्रभावी होगा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून असंगति की सीमा तक अप्रभावी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दलीलों, विशेष रूप से यूजीसी द्वारा बनाए गए विनियमों की बाध्यकारी प्रकृति के संबंध में, को समझने के लिए, यह स्पष्ट है कि संवैधानिक न्यायालयों, विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में कानून निर्धारित किया गया है।रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए **अन्नामलाई विश्वविद्यालय** के मामले में (उपरोक्त), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विधि स्थापित किया है कि यूजीसी अधिनियम के प्रावधान सभी विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं और निम्नानुसार निर्णय दिया है:

42. यूजीसी अधिनियम के प्रावधान सभी विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं, चाहे वे पारंपरिक हों या खुले विश्वविद्यालय।यूजीसी की शक्तियां बहुत व्यापक हैं।धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ई), (एफ), (जी) और (एच) के तहत यूजीसी द्वारा बनाए गए विनियमव्यापक दायरे के हैं।ये विनियम खुले विश्वविद्यालयों के साथ–साथ औपचारिक पारंपरिक विश्वविद्यालयों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के न्यूनतम मानकों को बनाए रखना आवश्यक है।ऐसे न्यूनतम शिक्षण मानकों को यूजीसी द्वारा परिभाषित किया जाना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों में कार्य या सुविधाओं के मानकों और समन्वय को बनाए रखना आवश्यक है और इसके लिए विनियमन भी आवश्यक है।यूजीसी की धारा 26(1)(एफ) और 26(1)(जी) के अंतर्गत शक्तियां अत्यंत व्यापक हैं।जैसा कि सर्वविदित है, अधीनस्थ विधान वैध रूप से निर्मित होने पर अधिनियम का हिस्सा बन जाता है। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि यूजीसी के कार्य धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (घ) और उसकी उपधारा (2) के खंड (क) और (ग) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में सर्वव्यापी हैं।

43. निर्विवाद रूप से, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया है, कि मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिनियमित किया गया था। यह शिक्षा प्रदान करने के नए और अनूठे तरीके के द्वार खोलता है।छात्रों को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।विषयों के चयन के संबंध में उनके पास व्यापक विकल्प हैं, लेकिन हमारी राय में इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची **I** की प्रविष्टि 66 में निहित संवैधानिक आदेश को प्रभावी बनाने के लिए संसदीय अधिनियम पारित होने के बावजूद, निजी विश्वविद्यालयों और मुक्त विश्वविद्यालयों की गतिविधियाँ और कार्य पूरी तरह से अनियमित रहेंगे।

44. हमारे समक्ष इस बात से इनकार या विवाद नहीं किया गया है कि शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने, विश्वविद्यालय के संचालन और यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधान सभी संबंधित पक्षों पर लागू और बाध्यकारी हैं।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बनाए गए विनियम स्पष्ट रूप से मुक्त विश्वविद्यालयों को लक्षित करते हैं।जब विनियम कानून का हिस्सा हैं, तो यह समझना कठिन है कि किसी अन्य क्षेत्र में लागू होने वाले ये विनियम संसदीय अधिनियम के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं। इग्नू ने कोई विनियम नहीं बनाया है; न ही कोई अध्यादेश बनाया है।यह विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय (यू. जी. सी.) द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार संचालित होता है। इन नियमों के प्रावधानों की वैधता पर न तो इग्नू और न ही अपीलकर्ता विश्वविद्यालय ने सवाल उठाया है।5 मई 2004 को श्री एच.पी. दीक्षित द्वारा जारी पत्र से, जो न केवल कुलपति थे बल्कि इग्नू की समिति के अध्यक्ष भी थे, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता विश्वविद्यालय ने नियमों के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों का दायरा, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत गठित विश्वविद्यालयों के संबंध में, जिसमें संसद द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय भी शामिल होगा, अब कोई नया विवाद्यक नहीं है।

46. प्रेम चंद जैन बनाम आर.के. छाबड़ा (1984) 2 एससीआर 883 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः(एससीसी पृष्ठ 308–09, कंडिका 8)

"कानूनी स्थिति यह सर्वविदित है कि अनुसूची सातवीं के अंतर्गत आने वाली सूचियों में शामिल प्रविष्टियाँ विधानमंडल की शक्तियाँ नहीं बल्कि विधानमंडल के 'क्षेत्र' हैं।"हरकचंद बनाम भारत संघ, [(1970) 1 एससीआर आर. 479 पी.489].बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह [1952] एस.सी.आर. 889] के मामले में, इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि ऐसी प्रविष्टियाँ मात्र विधायी शीर्षक हैं और इनका स्वरूप सक्षम बनाने वाला है।इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि प्रविष्टियों की भाषा को व्यापकतम अर्थ या विस्तार दिया जाना चाहिए।नवीनचंद्र बनाम सी. आई. टी., [1955] 2 एससीआर आर. 129 पी.836.प्रत्येक सामान्य शब्द को समस्त सहायक या सहायक मामलों तक विस्तारित करने के लिए कहा गया है जिन्हें निष्पक्ष तथा यथोचित रूप से समझा जा सकता है।देखें स्टेट ऑफ मद्रास बनाम गैन्नन डंकरले, [1959]

एस.सी.आर. 379 पृष्ठ 391 पर इस न्यायालय ने चेक पोस्ट ऑफिसर और अन्य बनाम के.पी. अब्दुल्ला ब्रदर्स [(1971) 2 एस.सी.आर. 817] में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक प्रविष्टि विधायिका को सहायक या आकस्मिक मामलों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, जिसमें विधि से बचने का प्रावधान भी शामिल है।जब तक कोई कानून सार और तत्व में अनुमत सीमा के भीतर है, तब तक केवल इस आधार पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी कि कानून बनाते समय, किसी ऐसे मामले के लिए प्रावधान किया गया है जो सक्षम कानून के उद्देश्य से प्रासंगिक होते हुए भी उससे परे के किसी पहलू को शामिल करता है।कई निर्णयों में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि कोई कानून संविधान द्वारा उसे बनाने वाली विधायिका को स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आता है, तो उसे केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि वह संयोगवश किसी अन्य विधायिका को सौंपे गए मामलों का अतिक्रमण करता है।"

47. दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह और अन्य, [1994 अनुपूरक (3) एससीसी 516] में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:(एससीसी पृष्ठ 526-27, कंडिका 13)

"13.....प्रविष्टि 66 के अनुसार, संसद को "उच्च शिक्षा संस्थानों और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय एवं निर्धारण" पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था।सूची **III** के मद 25 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों को "व्यावसायिक एवं तकनीकी श्रम प्रशिक्षण" से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया था।इस न्यायालय की छह न्यायाधीशों की पीठ ने यह टिप्पणी की कि विश्वविद्यालय शिक्षा और तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों में शिक्षा के विषयों पर राज्य के विधि की वैधता, जो सूची **I** की प्रविष्टि 64 के दायरे से बाहर आते हैं (अर्थात्, भारत सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित और संसद द्वारा कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए गए संस्थानों के अलावा अन्य वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थान), का मूल्यांकन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि क्या यह प्रविष्टि 66 के तहत संघ के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है।दूसरे शब्दों में, राज्य विधान की वैधता इस बात पर निर्भर करती थी कि क्या यह मानकों के समन्वय और निर्धारण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।यह मानकों के समन्वय और निर्धारण के संबंध में केंद्रीय विधान के वास्तविक अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता था, जिसका अनुच्छेद 254(1) के प्रथम भाग के अनुसार किसी भी स्थिति में सर्वोपरि महत्व था।

48. तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम अधियामन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य[(1995) 4 एससीसी 104] में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में कानून निर्धारित किया:(एससीसी पृष्ठ 134-35, कंडिका 41)

"41.उपरोक्त चर्चा से जो सामने आता है वह इस प्रकार है:

(i) संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 66 में प्रयुक्त "समन्वय" शब्द का अर्थ मात्र मूल्यांकन नहीं है।इसका अर्थ किसी निश्चित विकास योजना या रूपरेखा के अनुसार समन्वित कार्यवाही के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए एक समान स्वरूप तैयार करने हेतु सामंजस्य स्थापित करना है।अतः, इसमें न केवल मानकों में असमानताओं को दूर करने के लिए कार्यवाही शामिल है, बल्कि ऐसी असमानताओं को होने से रोकने के लिए भी कार्यवाही शामिल है।इसलिए, इसमें उन सभी कार्यों को करने की शक्ति भी शामिल होगी जो "समन्वय" को असंभव या कठिन बनाने वाली किसी भी चीज़ को रोकने के लिए आवश्यक हैं। यह शक्ति पूर्ण और बिना शर्त है और किसी भी वैध बाध्यकारी कारण के अभाव में, इसे इसके स्पष्ट और प्रत्यक्ष उद्देश्य के अनुसार पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए।

(ii) यदि राज्य विधान केंद्रीय विधान से विरोधाभास रखता है, भले ही वह समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत निर्मित प्रतीत होता हो, लेकिन वास्तव में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत केंद्र द्वारा निर्मित अधीनस्थ विधानों या संघ सूची की प्रविष्टि 66 को प्रभावी करने के लिए निर्मित विधानों का अतिक्रमण करता हो, तो वह विधान शून्य और अप्रभावी होगा।

(iii) यदि दोनों विधानों में विरोधाभास हो, तो जब तक राज्य विधान अनुच्छेद 254 के खंड (2) के मुख्य भाग के प्रावधानों द्वारा संरक्षित न हो, और राज्य विधान केंद्रीय विधान के विपरीत हो, तब तक वह अप्रभावी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) क्या राज्य का विधि संघ सूची की प्रविष्टि 66 का अतिक्रमण करता है या समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के विपरीत है, इसका निर्धारण दोनों कानूनों की जांच करके किया जाएगा और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

(v) जब उपलब्ध पदों/सीटों से अधिक आवेदक हों, तो राज्य प्राधिकरण आवेदकों की चयन प्रक्रिया के लिए केंद्र या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों या योग्यताओं से उच्च मानक या योग्यताएं निर्धारित करने से नहीं रोका जाता है।जब राज्य प्राधिकरण ऐसा करता है, तो वह संघ सूची की प्रविष्टि 66 का अतिक्रमण नहीं करता है या ऐसा कानून नहीं बनाता है जो केंद्रीय कानून के विपरीत हो।

(vi) हालाँकि, जब स्थितियाँ/सीटें उपलब्ध हों और राज्य प्राधिकरण किसी आवेदक को इस आधार पर अस्वीकार कर दें कि आवेदक उनके मानकों या योग्यताओं के अनुसार योग्य नहीं है, भले ही आवेदक केंद्रीय कानून द्वारा निर्धारित मानकों या योग्यताओं को पूरा करता हो, तो वे असंवैधानिक रूप से कार्य करते हैं।इसी प्रकार, जब राज्य प्राधिकरण किसी संस्था को उनके द्वारा निर्धारित मानकों या आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण मान्यता रद्द कर देते हैं या संबद्धता समाप्त कर देते हैं, जबकि वह संस्था केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों और आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो राज्य प्राधिकरण अवैध रूप से कार्य करते हैं।"

49. ए. पी.राज्य बनाम के. पुरुषोत्तम रेड्डी तथा अन्य[(2003) 9 एस. सी. सी. 564], इस न्यायालय ने निर्णय दियाः(एससीसी प.572, कंडिका 19)

"19.भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के संदर्भ में संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी क्षमता में अंतर को इस न्यायालय के उन निर्णयों के आलोक में देखा जाना चाहिए जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक अनुच्छेद की व्याख्या व्यापक रूप से की जानी चाहिए।संसदीय विधान और राज्य विधान दोनों पर इस प्रकार विचार किया जाना चाहिए कि दोनों का समर्थन हो सके और केवल तभी जब यह पाया जाए कि दोनों का सह–अस्तित्व संभव नहीं है, तो राज्य अधिनियम को अधिकारहीन घोषित किया जा सकता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 का खंड I संसद या राज्य विधानमंडलों की क्षमता हेतु प्रावधान नहीं करता है जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, परंतु केवल संबंधित विधायी क्षेत्रों हेतु प्रावधान करता है।इसके अलावा, न्यायालयों को किसी कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखने के उद्देश्य से उसकी व्याख्या करनी चाहिए।"(जोर दिया गया)

यह देखा गयाः[(पुरुषोत्तम रेड्डी मामला, (2003) 9 एस. सी. सी. 564, एस. सी. सी. पी.573, कंडिका 20]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"20.सूची I की प्रविष्टि 66 में उच्च शिक्षा के लिए समन्वय और मानकों के निर्धारण का प्रावधान है। सूची III की प्रविष्टि 25 में व्यापक विषय, अर्थात् शिक्षा, से संबंधित प्रावधान है।दोनों प्रविष्टियों को एक साथ पढ़ने पर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यद्यपि राज्य के पास व्यापक विधायी क्षेत्र है, फिर भी वह सूची I की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के अधीन है। इस प्रकार, यदि यह पाया जाता है कि कोई भी राज्य विधान भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 द्वारा निर्धारित विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करता है, तो राज्य अधिनियम को अमान्य नहीं किया जा सकता है ।

50. इस प्रकार, यूजीसी अधिनियम, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 के अनुसार संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, इसलिए यह मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम पर प्रभावी होगा।

36. कल्याणी मथिवानन (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यूजीसी विनियम, यद्यपि अधीनस्थ विधान हैं, उन विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं जिन पर वे लागू होते हैं और आयोग की सिफारिश का पालन करने में विश्वविद्यालय की विफलता के परिणामस्वरूप, यूजीसी आयोग के कोष से विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान को रोक सकता है और कंडिका–27 में कहा गया है, जो इस प्रकार है:–––

"27. उपरोक्त प्रावधानों से हम पाते हैं कि हम पाते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालयों के मानक निर्धारण, विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन एवं समन्वय, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के मानकों के निर्धारण एवं रखरखाव, विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों की योग्यताओं को परिभाषित करने, मानकों के रखरखाव आदि के लिए की गई है। यूजीसी अधिनियम (धारा 12

देखें) के अंतर्गत अपने कार्यों के निष्पादन हेतु, जैसे कि विश्वविद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्यतः अपेक्षित योग्यताओं और मानकों को परिभाषित करना [धारा 26(1)(ई)(जी) देखें], यूजीसी को विनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर ही नियम लागू हो सकता है।अतः, हमारा मानना है कि यूजीसी के नियम यद्यपि अधीनस्थ विधान हैं, फिर भी उन विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं जिन पर वे लागू होते हैं; और यदि विश्वविद्यालय आयोग की अनुशंसाओं का पालन करने में विफल रहता है, तो यूजीसी आयोग के कोष से विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान को रोक सकता है (धारा 14 देखें)।"

37. इस समय यह ध्यान देना रोचक है कि अनुपालन न करने का कारण संभवतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर के कंडिका–5 में देखा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि कॉलेज को यूजीसी से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि यूजीसी के पास कोई कार्यवाही करने की शक्ति नहीं है, इसलिए उत्तरवादी विश्वविद्यालय यूजीसी के निर्देशों की अवहेलना करने का साहस करता है और यहां तक कि शपथ पत्र में यह कहने का भी साहस करता है कि यूजीसी के नियम उस पर बाध्यकारी नहीं हैं और उसने जानबूझकर विधि की गलत व्याख्या की है।यह न केवल उत्तरवादी –विश्वविद्यालय द्वारा संवैधानिक आदेश का उल्लंघन है, बल्कि न्यायालय की घोर अवमानना का भी मामला है, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा झूठा और भ्रामक शपथ पत्र दायर किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. **गंभीरधन के. गढ़वी (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कानून निर्धारित किया है:––**

50. यह निर्विवाद है कि यूजीसी विनियम यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 26(1)(ई) और 26(1)(जी) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किए गए हैं। यूजीसी अधिनियम के अनुसार भी, उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।अतः, अधीनस्थ विधान होने के कारण, यूजीसी विनियम अधिनियम का हिस्सा बन जाते हैं। राज्य विधान और केंद्रीय विधान के बीच किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति में, संविधान के अनुच्छेद 254 में प्रतिपादित असंगतता के नियम/सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय विधान प्रभावी होगा, क्योंकि "शिक्षा" विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) में है। अतः, यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के विपरीत किसी भी कुलपति की नियुक्ति वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन मानी जा सकती है, जिसके लिए अधिकार–पृच्छा रिट जारी की जा सकती है।"

39. प्रो. (डॉ.) श्रीजीत पी.एस. (उपरोक्त) के मामले में,सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले के समान गोद लेने संबंधी दलीलों पर विचार किया है और कंडिका–24 में राज्य द्वारा दिया गया तर्क को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया है:

24. इस न्यायालय के उपरोक्त दो बाध्यकारी निर्णयों के मद्देनजर, यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के विपरीत गठित खोज समिति की सिफारिश पर कुलपति के रूप में की गई कोई भी नियुक्ति प्रारंभ से ही अमान्य होगी। यदि राज्य विधान और केंद्र विधान में कोई विरोधाभास हो, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार भी, राज्य विधान के प्रावधानों के विपरीत होने की सीमा तक केंद्र विधान प्रभावी होगा।इसलिए, राज्य की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि जब तक राज्य द्वारा यूजीसी विनियमों को विशेष रूप से अपनाया नहीं जाता है, तब तक यूजीसी विनियम लागू नहीं होंगे और राज्य के कानून ही प्रभावी होंगे, स्वीकार नहीं की जा सकती है।"

40. हाल ही में, मेहर फातिमा हुसैन (उपरोक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाध्यकारी प्रकृति के पहलू पर विचार किया और पूर्व के कानून को स्पष्ट किया कि यूजीसी का विधान यद्यपि अधीनस्थ विधान है, विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है।

41. तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा से संबंधित सूची तृतीय की प्रविष्टि 25 को सूची प्रथम की प्रविष्टियों 63 से 66 के अंतर्गत विधान बनाने की संसद की शक्ति के अधीन किया गया है। अतः, सूची प्रथम की प्रविष्टि 66 और सूची तृतीय की प्रविष्टि 25 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। प्रविष्टि 66 संघ को यह देखने की शक्ति देती है कि देश में उच्च शिक्षा का एक आवश्यक मानक बनाए रखा जाए।वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के स्तर को किसी विशेष राज्य या राज्यों द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए।दूसरा, उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण करना केंद्र सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व की किसी भी परियोजना के साथ उचित संबंध स्थापित करने, उसका मूल्यांकन करने, सामंजस्य स्थापित करने और सुनिश्चित करने की शक्ति शामिल है। यह कहना अनावश्यक है कि उच्च शिक्षा में उचित मानकों के साथ ऐसा समन्वित कार्य राष्ट्रीय प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।राष्ट्रीय हित में, 'शिक्षा' से संबंधित विधायी क्षेत्र को सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची III के बीच विभाजित किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. **डॉ. प्रीति श्रीवास्तव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, (1999) 7 एससीसी 120** के मामले में संविधान पीठ द्वारा सूची I की प्रविष्टि 66 और सूची III की प्रविष्टि 25 के परस्पर संबंध की फिर से जांच की गई।इस मामले में चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य द्वारा मानकों को कम करने का विवाद्यक उठाया गया था और यह माना गया कि राज्य में शिक्षा को नियंत्रित करते हुए, राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों के मानकों पर अतिक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या प्रवेश के मानदंडों का शिक्षा के मानकों से कोई संबंध है और क्या वे केवल सूची III की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आते हैं, यह पाया गया कि प्रवेश के मानदंडों में किसी भी प्रकार की कमी का उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।किसी संस्थान में शिक्षा का स्तर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे: (i) शिक्षण स्टाफ की योग्यता; (ii) एक निश्चित समयावधि में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार

किया गया उचित पाठ्यक्रम; (iii) विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात; (iv) उपकरण और प्रयोगशाला सुविधाएं; (v) प्रवेशित विद्यार्थियों की योग्यता; (vi) संस्थान में पर्याप्त आवास; (vii) परीक्षा का स्तर, जिसमें प्रश्नपत्र तैयार करने और जांचने का तरीका भी शामिल है; और (viii) व्यावहारिक परीक्षाओं का मूल्यांकन।यह बताया गया कि शिक्षा में शिक्षकों और छात्रों के बीच निरंतर अंतःक्रिया शामिल होती है।शिक्षण का आधार, शिक्षण का स्तर और छात्रों को अंततः मिलने वाला लाभ, छात्रों की योग्यता के साथ–साथ शिक्षकों की योग्यता और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।

43. जबकि अधिनियम, 1956 की धारा 25 केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है।धारा 26 आयोग को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनियम बनाने का अधिकार देती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अधिनियम, 1956 की उपधारा (2) के खंड (एफ) के तहत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों या संस्थानों के वर्ग को निर्दिष्ट करने और किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम शिक्षण मानकों को परिभाषित करने और विश्वविद्यालयों में मानकों के रखरखाव और कार्य या सुविधाओं के समन्वय को विनियमित करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति शामिल है।अतः, इन प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) के पास विश्वविद्यालयों की तुलना में सर्वोच्च शक्तियां हैं और यू. जी. सी. द्वारा दिए गए निर्देश विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं।यद्यपि विश्वविद्यालय के विद्वान स्थायी वकील ने यह तर्क दिया है कि यू. जी. सी. द्वारा बनाए गए विनियम, 2023 कानून के अनुरूप नहीं हैं, फिर भी हम अनेक कारणों से इस तर्क से सहमत नहीं हैं।पहली बात तो यह है कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय के पास ऐसा कोई मामला नहीं था और तीसरी बात यह है कि हमारा यह मत है कि यूजीसी को अधिनियम, 1956 के तहत संबंधित नियम बनाने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं।यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों की प्रभावकारिता और वैधता से संबंधित विवाद्यक प्रणीत के और अन्य बनाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अन्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 592 में **सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन था और न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि** दिनांक 06.07.2020 के दिशानिर्देशों को अधिनियम, 1956 की धारा 12 के तहत आयोग में निहित वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया माना जाना चाहिए और इसलिए, वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में जारी किए गए दिशानिर्देशों को गैर–वैधानिक नहीं कहा जा सकता है।

44. उपर्युक्त न्यायिक मिसालों के आलोक में वर्तमान मामलों के तथ्यों पर पुनः विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि यूजीसी ने दिनांक 19.01.2024 के पत्र के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2024–25 से 2033–34 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए स्वायत्त दर्जा प्रदान करने का आदेश पारित किया है।

45. विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2024 के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित है।स्वायत्त कॉलेजों द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता और स्थिति को समझने और तार्किक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त कॉलेजों के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वायत्त कॉलेजों की योजना का समग्र अवलोकन करना बेहतर है।इस योजना की शुरुआत से ही यह स्पष्ट है कि स्वायत्त कॉलेजों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, भारत में उच्च शिक्षा की बारहवीं योजना संबंधी यूजीसी के दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्नातक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का एकमात्र सुरक्षित और बेहतर तरीका अधिकांश कॉलेजों को संबद्धता संरचना से अलग करना है।यह पाया गया कि शैक्षणिक और परिचालन स्वतंत्रता वाले कॉलेज बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी विश्वसनीयता अधिक है, और इसके परिणामस्वरूप, स्वायत्तता की संस्कृति को फैलाने के लिए स्वायत्त कॉलेजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया और लक्ष्य बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक पात्र कॉलेजों में से 10 प्रतिशत को स्वायत्त बनाना था।यूजीसी ने इस बात का ध्यान रखा कि कॉलेजों की संबद्धता प्रणाली का मूल्यांकन करते समय स्वायत्तता की आवश्यकता थी। यह प्रणाली मूल रूप से तब बनाई गई थी जब विश्वविद्यालय में कॉलेजों की संख्या कम थी और विश्वविद्यालय प्रभावी रूप से कॉलेजों के कामकाज की देखरेख कर सकता था, परीक्षा निकाय के रूप में कार्य कर सकता था और उनकी ओर से डिग्री प्रदान कर सकता था।हालांकि, यह पाया गया कि विश्वविद्यालय के लिए अलग-अलग कॉलेजों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा था और साथ ही, कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने या उन्हें वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी।यह भी महसूस किया गया कि विश्वविद्यालय के नियम और उसकी सामान्य प्रणाली, जो सभी कॉलेजों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उनकी विशेषताएँ, कमियाँ और स्थान कुछ भी हों, ने अलग-अलग कॉलेजों के शैक्षणिक विकास को प्रभावित किया है।तदनुसार, इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि 1964-66 के शिक्षा आयोग ने इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षकों द्वारा अकादमिक स्वतंत्रता का प्रयोग हमारे देश के बौद्धिक वातावरण के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और जब तक ऐसा वातावरण कायम नहीं रहता, तब तक हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना मुश्किल है।इसका यह भी मत था कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में छात्र, शिक्षक और प्रबंधन सहभागी हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि वे एक बड़ी जिम्मेदारी साझा करें और इसीलिए शिक्षा आयोग ने कॉलेज स्वायत्तता की सिफारिश की, जो मूल रूप से अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का साधन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. जबकि अधिनियम, 1956 की धारा 25 केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है,अधिनियम, 1956 की उप-धारा (2) के खंड (च) के तहत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों या संस्थानों के वर्ग को निर्दिष्ट करना तथा किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी डिग्री के अनुदान हेतु शिक्षा के न्यूनतम मानकों को परिभाषित करना तथा मानकों के रखरखाव तथा विश्वविद्यालयों में कार्य या सुविधाओं के समन्वय को विनियमित करना।अत: इन प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों पर सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त हैं और यूजीसी द्वारा दिए गए निर्देश विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं।यद्यपि विश्वविद्यालय के विद्वान स्थायी वकील ने यह तर्क दिया है कि यूजीसी द्वारा बनाए गए विनियम, 2018 कानून के अनुरूप नहीं हैं, फिर भी यह न्यायालय अनेक कारणों से इस तर्क से सहमत नहीं

है।प्रथम, विश्वविद्यालय को अपने द्वारा बनाए गए विनियमों को चुनौती देने का अधिकार नहीं है; न्यायालय का यह मत है कि यूजीसी को अधिनियम, 1956 के तहत संबंधित विनियम बनाने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं।

47. यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों की प्रभावकारिता और वैधता से संबंधित मुद्दा प्रणीत के. (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दिशानिर्देशों को अधिनियम, 1956 की धारा 12 के तहत आयोग में निहित वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया माना जाना चाहिए और इसलिए, वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में जारी किए गए दिशानिर्देशों को गैर–वैधानिक नहीं कहा जा सकता है।

48. यूजीसी दिशानिर्देश, विनियम, 2018 और अधिनियम, 1975 के अध्याय VIII बी को 30 नवंबर, 2013 से प्रभावी रूप से संशोधित करने पर यह स्पष्ट है कि स्वायत्त कॉलेजों को इसके अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपनी शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों को संचालित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विचाराधीन कॉलेज संबद्ध है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वायत्त दर्जा प्राप्त कर चुका है।यद्यपि विश्वविद्यालय के अधिवक्ता द्वारा इस तर्क का जवाब देते हुए एक हल्का सा प्रयास किया गया है कि कॉलेज ने उपरोक्त नियमों/विनियमों के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त कर लिया है, कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि कॉलेज द्वारा कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।इसलिए, विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किए गए तर्कों में कोई सार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यूजीसी ने 2023 के विनियमों के खंड 7.5 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024–25 से 2033–34 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए पत्र दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के संबंध में एक आदेश पारित किया है।उक्त पत्र के माध्यम से, अटल विहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, जिससे यह महाविद्यालय संबद्ध है, को यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार महाविद्यालय को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के संबंध में कुछ दिनों के भीतर आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

50. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (संक्षेप में, "एनएएसी") द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे एनएएसी ग्रेड "ए" आईएसओ 9001 2015 प्राप्त है। महाविद्यालय की अच्छी प्रतिष्ठा है और यह वर्ष 1969 से छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर रहा है। महाविद्यालय विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है।यूजीसी ने याचिकाकर्ता कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के संबंध में दिनांक 19.01.2024 को आदेश पारित किया था और संबंधित विश्वविद्यालय को इस संबंध में 30 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, जो वास्तव में 1956 के अधिनियम के साथ–साथ कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन है।हालांकि उत्तरवादी–विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी

करने से इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी अधिसूचना जारी करने के बजाय, उन्होंने संबंधित रिट याचिका के माध्यम से कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के आदेश को चुनौती दी है।

51. अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादी विश्वविद्यालय दिनांक 19.01.2024 के पत्र को इस आधार पर चुनौती देना चाहता है कि इस प्रकार का मान्यता प्रदान करने का आदेश जारी करने से पहले विश्वविद्यालय को सूचित नहीं किया गया था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधित कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने से पहले विश्वविद्यालय की बात नहीं सुनी गई थी, जो विधि की दृष्टि से आवश्यक है।

52. विश्वविद्यालय द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि कॉलेज धारा 27 के तहत विश्वविद्यालय से संबद्ध है, इसलिए कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है, लेकिन संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है।कॉलेज ए. आई. सी. टी. ई., एन. सी. टी. ई., बी. सी. आई., पी. सी. आई. से आवश्यक अनुमति लिए बिना अलग-अलग पाठ्यक्रम चला रहा है, हालांकि कॉलेज बी. बी. ए., बी. सी. ए., एम. सी. ए., पी. जी. डी. सी. ए. आदि की तरह चल रहा है, जिसहेतु नियामक प्राधिकरण ए. आई. सी. टी. ई. है, परंतु कॉलेज ने संबंधित नियामक प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली है।यह सुस्थापित किया गया है कि सबहेतु पहले कॉलेज को विश्वविद्यालय हेतु संपर्क करना पड़ता है, हालांकि, विश्वविद्यालय को सूचित या ज्ञान दिए बिना, कॉलेज ने स्वायत्त स्थिति की मांग की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

53. उपरोक्त कारणों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून और अधिनियमों, नियमों और विनियमों जैसे सुसंगत विधि प्रावधानों के आलोक में वर्तमान मामलों के तथ्यों की जांच करते हुए, इस न्यायालय की राय है कि डी.पी. विप्रा कॉलेज द्वारा दायर रिट याचिका (डब्ल्यूपीसी संख्या 4092/2024) स्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार, उत्तरवादी-विश्वविद्यालय को वर्ष 2023 के विनियमों, विशेष रूप से विनियम संख्या 7.2 के अनुसार याचिकाकर्ता-कॉलेज की स्वायत्त स्थिति के संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसके तहत उत्तरवादी-विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता-कॉलेज की स्वायत्त स्थिति के संबंध में 30 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करने के लिए बाध्य है।

54. उपरोक्त चर्चाओं के फलस्वरूप, इस न्यायालय की यह राय है कि विश्वविद्यालय ने हस्तक्षेप के लिए कोई प्रकरण नहीं बनाया गया है, इसलिए अटल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा दायर रिट याचिका, डब्ल्यूपीसी संख्या 778/2025, सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

55. इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नही किया जाता है ।

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur